जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

169/15

A3/1

अपील सूचना का अधिकार संख्या 169/2015 श्री लाधुराम पुत्र श्री भीयांराम जाति जाट चौधरी कोलोनी वार्ड न0 12 लूनकरनसर जिला बीकानेर बनाम लोक सूचना अधिकारी (भू.अ. शाखा) कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20–01–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री लाधूराम को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित है। उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री लाधूराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रा0 पत्र द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर (भू.अ.) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

> जमाबंदी चक 5 एन.पी. सम्वत 2028 से 2031 व 2032 से 2035
> जमाबंदी चक 6 एलसी सम्वत 2028 से 2031 व 2032 से 2035
> राजाराम पुत्र रामचन्द्र कौम बिश्नोई

अपीलार्थी श्री लाधूराम द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रा0 पत्र दिनांक 05.11.2015 द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

उक्त सूचनाओ के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट (भू.अ.शाखा) श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 7972 दिनांक 18.11.2015 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया है कि चक 5 एनपी की सम्वत 2026 से 2029 की जमाबंदी उपलब्ध है जिसमें राजाराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई के नाम कोई भूमि दर्ज रिकार्ड नही है। उक्त सूचनाओ के संबंध में पत्र दिनांक 22.12.2015 से भी अपीलार्थी को निम्न प्रकार से सूचित किया गया हैः–

> उपयुर्क्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके सूचना के अधिकार 2005 के प्रार्थना पत्र के कम में तहसीलदार रायसिंहनगर से सलंग्न पत्र द्वारा सूचना प्राप्त हो चुकी है जिसके अनुसार चक 5एनपी व 6 एलसी की जमाबंदी सम्वत 2028 से 2035 की जमाबंदीयों में केवल चक 5 एनपी की जमाबंदी सम्वत 2026 ता 2029 की उपलब्ध है जिसमें राजाराम पुत्र रामचन्द जाति बिश्नोई के नाम कोई भूमि रिकार्ड में दर्ज नही है तथा इस कार्यालय में भी चक 5 एनपी व 6 एलसी की जमाबंदीया सम्वत 2026 से 2035 में से केवल सम्वत 2026 से 2029 की उपलब्ध है जिसमें राजाराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई के नाम कोई भूमि दर्ज नही है जिसकी सूचना प्रसंगिक पत्र 7972 दिनांक 18.11.2015 द्वारा पूर्व में आपको दी जा चुकी है।

उक्त प्रतिवेदन से सप्ष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट (भू.अ.शाखा) श्रीगंगानगर के पास चक 5एनपी व 6एलसी की सम्वत 2026 से 2029 तक की जमाबन्दी उपलब्ध है जिसमें राजाराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई का नाम नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट (भू.अ.शाखा) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर